न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 09 / 2024

राज.सरकार प्रवर्तन अधिकारी, रसद, कार्यालय जिला रसद कार्यालय भरतपुर
......प्रार्थी

बनाम

श्री विष्णु कुमार पुत्र राधारमन छीपी बृजवासी भजिया, कुम्हेरगेट भरतपुर
.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :–
1–पैरोकार सरकार रसद

निर्णय दिनांक 19.02.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.9.24 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ कुम्हेर गेट भरतपुर पर बृजवासी भजिया भरतपुर पर पहुँचे। मौके पर घरेलू गैस सिलेन्डरों का उपयोग मिठाई बनाने एवं भजिया बनाने का व्यवसायिक कार्य किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भंडारण का कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेन्डरों का व्यवसायिक दुरूपयोग द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया। पैरोकार रसद की बहस इकतरफा में सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यक गतिविधि के लिये कर रहा था। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एलपीजी राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र/09/2024

प्रवर्तन निरीक्षक रसद बनाम विष्णु कुमार

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पैरोकार सरकार रसद के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी अपने मिष्ठान की दुकान में मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का वाणिज्यक गतिविधी के लिये करता पाया गया है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण 05 घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर सम्बन्धित कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेन्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर